श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास हणोगी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास हणोगी के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर प्रभारी के रूप में कार्यरत्त रहेः–

क्रम संख्या	मन्दिर प्रभारियों के नाम	अवधि
1	श्री गुलाब सिंह ठाकुर	01.05.2011 से 22.08.2012
2	श्री हीरा चन्द	23.8.12 से अब तक

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में (₹)
1	5	विभिन्न संस्थाओं को अनुदानों के रूप में दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	28.72
2	6	मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं द्वारा दान किये गये आभूषणों का उचित अभिलेख तैयार न करना	विवरण पैरे में दिया गया है
3	7	रसीद बुकों का अभिलेख रखने तथा उसके प्रयोग से सम्बन्धित अनियमितताएं	विवरण पैरे में दिया गया है

(iii) गत अंकेक्षणः–

श्री हणोगी मन्दिर न्यास हणोगी की प्रबन्धन समिति द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु कोई भी विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अतः लम्बित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु शीध्र उचित पग उठाए जाऐं। गत अवधि के अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास हणोगी के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री चन्द्रेश हाण्डा, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.9.13 से 31.10.13 के दौरान हणोगी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/2011 व 08/2012 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/11 व 11/12 के लेखा का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध अभिलेख एवम् सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवम् सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹13800/–किया गया। अनुभाग अधिकारी द्वारा अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एम0डी0/438 दिनांक 04.11.13 जारी करके उपरोक्त शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास की आय का मुख्य स्त्रोत श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में प्राप्त राशि है जिसका लेखा जोखा मुख्य लेखों में किया गया है। इसके अतिरिक्त मन्दिर

न्यास की हणोगी, कुल्लू व मनाली की धर्मशालाओं, मन्दिर कैन्टीन, एवं जूस बार आदि स्त्रोतों से भी आय प्राप्त की जाती है जिसके लिए जूसबार कुल्लू व मनाली धर्मशालाओं की रोकड़ वहियाँ तैयार की गई है। मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखों की जो वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गई उसे अपेक्षित प्रपत्र में तैयार नहीं किया गया अपितु मुख्य लेखों के अन्त में अन्य लेखों की विवरणी तैयार की गई है। इस बारे में अनुभाग अधिकारी द्वारा अधियाचना संख्या 1 आर दिनांक 26.9.13 द्वारा अपेक्षित वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जोकि अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई। मन्दिर न्यास द्वारा मुख्य लेखों व बैंक लेखों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि 1.1.2011 से 31.12.2011

(क) मुख्य लेखाः–

	₹
प्रारम्भिक शेष	12200276.75
वर्ष में प्राप्ति/हस्तांतरण प्राप्ति	9325767.00
धर्मशाला मनाली प्राप्ति	300000.00
धर्मशाला कुल्लू प्राप्ति	500000.00
जूसबार से प्राप्ति	100000.00
प्राप्त ब्याज	408388.00
कुल	**22834431.75**
वर्ष में व्यय (–)	6632838.00
नई एफ0डी0आरएस बनाई (–)	10900000.00
अन्तशेष	**5301593.75**

(ख) एफ0डी0आर0 (निवेश) (परिशिष्ट "क" में दर्शित

प्रारम्भिक शेष	4039429.00
अर्जित ब्याज (Accrued)	374582.00
कुल	4414011.00
नई एफ0डी0आर0	10900000.00
कुल एफ0डी0आर0 (निवेश)	**15314011.00**

(ग) बन्द लेखें

(i)	खाता पी0एन0बी0 पण्डोह	52708.00
	A/C 11756	
(ii)	खाता राज्य सहकारी बैंक पण्डोह	2465.00
	खाता संख्या 56	
(iii)	खाता अर्बन बैंक मण्डी (2446)	200261.00
	योग	**255434.00**
(घ)	**हस्तगत राशि**	**47238.00**
	कुल अन्तशेष (क+ख+ग+घ)	**20918276.75**

अवधि 1.1.2012 से 31.12.2012

(क)	मुख्य लेखा	
	प्रारम्भिक शेष	5301593.75
	वर्ष में प्राप्ति/हस्तांतरिण प्राप्ति	11320220.50
	धर्मशाला मनाली	–
	धर्मशाला कुल्लू	–
	जूसबार	90000.00
	प्राप्त ब्याज	237793.00
	कुल	**16949607.25**
	अवधि में नई एफ0डी0आर0 बनाई	(–) 5090000.00
	अवधि में एचडीएफसी बैंक को नये खाते हेतु हस्तांतरण	(–) 2000000.00
	अवधि में व्यय	(–) 7617681.00
	अन्तशेष	**2241926.25**
(ख)	**निवेश (एफडीआर व शेयर) परिशिष्ट"क" में दर्शित**	
	प्रारम्भिक शेष	15314011.00
	अर्जित ब्याज (Accured)	1328760.00
	नई एफ0डी0आर0	5090000.00
	कुल एफ0डी0आर0 (31.12.12)	**21732771.00**

(ग) बन्द लेखें

(i)	खाता पी0एन0बी0 पण्डोह (11756)	52708.00	
	प्राप्त ब्याज	4164.00	56872.00
(ii)	खाता अर्बल बैंक मण्डी (2446)		2465.00
(iii)	खाता राज्य सहकारी बैंक पण्डोह (56)	200261.00	
	प्राप्त ब्याज	3595.00	203856.00
	योग		**263193.00**

(घ) हस्तगत राशि	**1746.00**
(ङ) एचडीएफसी बैंक मण्डी (नया खाता) बचत खाता	**2000000.00**
रोकड़ वही में कुल अन्तशेष (क+ख+ग+घ+ङ)	**26239636.25**

2 कुल्लू स्थित धर्मशाला

	1.1.11 से 31.12.11	**1.1.12 से 31.12.12**
	(₹)	**(₹)**
प्रारम्भिक शेष (बैंक)	245204	90303
हस्तगत राशि	3533	945
कुल	248737	91248
प्राप्ति	380231	624506
प्राप्त ब्याज	12443	11952
कुल	641411	727706
व्यय	50163	97649
शेष	**591248**	**630057**
वर्ष के अन्त में मुख्य लेखा को हस्तांतरित राशि	(–) 500000	–
अन्तशेष	**91248**	**630057**
बैंक में राशि. (पीएनबी कुल्लू खाता 89801)	90303	628307
हस्तगत	945	1750
अन्तशेष	**91248**	**630057**

(3) मनाली (अलेऊ) स्थित धर्मशाला

	1.1.11 से 31.12.11	**1.1.12 से 31.12.12**
	(₹)	**(₹)**
प्रारम्भिक शेष (बैंक)	82251	37057
हस्तगत राशि	804	4443
कुल	83055	41500
अवधि में प्राप्ति	250313	227543
प्राप्त ब्याज	8132	5672
योग	341500	274715
वर्ष के अन्त में मुख्य लेखा को हस्तांतरित राशि	300000	–
अन्तशेष	**41500**	**274715**
बैंक में राशि (एसबीआई मण्डी खाता सं0 97726)	37057	262004
हस्तगत राशि	4443	12711
कुल	**41500**	**274715**

नोटः– गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में मनाली (अलेऊ) स्थित धर्मशाला से सम्बन्धित लेखों का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मण्डी के खाता संख्या 97726 में दिनांक 31.12.11 को अन्तशेष ₹87214/– दर्शाया गया था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में उक्त बैंक खाते में दिनांक 1.11.11 को प्रारम्भिक शेष ₹82251/– दर्शाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(4) जूसबार हणोगी

	1.1.11 से 31.12.11	1.1.12 से 31.12.12
	(₹)	(₹)
प्रारम्भिक शेष बैंक	51419	18500
हस्तगत राशि	787	2351
कुल	52206	20851
अवधि में प्राप्ति	457603	678752

ब्याज	–	–
योग	509809	699603
भुगतान	388958	586998
शेष	120851	112605
31.12.11 को मुख्य लेखें में हस्तगत राशि	100000	90000
शेष	**20851**	**22605**
अन्तशेष (बेंक) राज्य सहकारी बैंक पण्डोह	18500	21855
चलत खाता 066		
हस्तगत राशि	2351	
		750
अन्तशेष	**20851**	**22605**

5 <u>विभिन्न संस्थाओं को अनुदानों के रूप में दी गई ₹2872693 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–</u>

मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न संस्थाओं को निम्न राशियां अनुदान के रूप में प्रदान की गई परन्तु अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। अतः अनुदानों से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब प्राप्त किए जाऐ व आगामी लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत किये जाए।

चैक संख्या	**दिनांक**	**जिन्हें अनुदान दिया गया**	**राशि (₹)**
655685	15.2.11	प्रधान साईं गौ सदन धर्मपुर	35000
511324	17.3.11	जिला भाषा संस्कृति अधिकारी	40000
660439	8.6.11	सचिव प्शु अत्याचार निवारण समिति, मैगल	50000
660447	27.6.11	अध्ययन भूतनाथ मन्दिर मण्डी	700000
660461	5.7.11	प्रधान गणपति मन्दिर मण्डी	150000
660462	5.7.11	प्रधान पराशर ऋषि, बान्धी	150000
660463	5.7.11	प्रधान शुकदेव मनिदर, शारटी	150000
660470	8.7.11	जिला भाषा अधिकारी, मण्डी 25000	20000

660471	20.7.11	प्रधान मार्कण्डेय मन्दिर, वाली चौकी	25000
660500	28.8.11	जिला भाषा अधिकारी, मण्डी (श्रवणी पूर्णिमा)	25000
660840	21.10.11	सचिव जिला रैड क्रास सोसाईटी, मण्डी	60000
660873	17.11.10	सचिव ग्रीनलैण्ड सौकर क्लब मण्डी (विज्ञापन)	20000
656126	18.1.12	जिला भाषा अधिकारी (शिवरात्री)	30000
656127	18.1.12	गौ सदन मैगल	40000
656139	4.2.12	माता बंगलामुखी बाखली	100000
656166	5.3.12	अध्यक्ष शिवरात्री मेला समारिका (विज्ञापन)	50000
661475	23.6.12	गौ सदन मैगल	35000
661479	6.7.12	सचिव हाट वैदर टूर्नामैन्ट	20000
661492	9.7.12	एस0डी0एम0 सुन्दरनगर (विज्ञापन)	25000
658444	28.9.12	जिला कल्चर कौसिल मण्डी	1000000
658436	5.9.12	प्रवासी बच्चों को 30 बिस्तर हेतु	122693
658477	17.11.12	गौ सदन, मैगल	25000
		योग	**₹2872693**

6 श्रद्धालुओं द्वारा दान किये गये आभूषणों का उचित अभिलेख तैयार न करनाः—

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि श्रद्धालुओं द्वारा मन्दिर में चढ़ाये गये आभूषणों की स्टॉक रजिस्टर में संख्या तो दर्ज की गई लेकिन रसीद बुकों में माप तोल के बाद में दर्ज किए गए आभूषणों की मात्रा तथा स्टॉक में कुल शेष मात्रा के योग नहीं दर्शाऐ गये है। इसके अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार जिन आभूषणों की संख्या या मापतोल को स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया भी गया है उन मदों को भी मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

आभूषण का नाम	**स्टाक रजिस्टर पृ0सं0**	**अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत प्राप्ति**	**स0/भार**
छत्र चान्दी	1	14 नग	माप तोल नहीं किया गया
छत्र सोना	11	3 नग	9.19 ग्राम

नथ सोना	15	3 नग	माप तोल नहीं किया गया
बिछुऐं चान्दी	31	2 जोड़े	माप तोल नहीं किया गया
आंखे चान्दी	35	7 जोड़	माप तोल नहीं किया गया
टीक सोना	41	1	4.42 मि0ग्रा0

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 51 में समस्त सोने व पृष्ठ 55 पर समस्त चान्दी की प्रविष्टियाँ की जा रही है लेकिन कुल शेष मात्रा को मन्दिर अधिकारी से सत्यापन नहीं करवाया गया है। अतः इस प्रकरण में समिति का गठन करके तथा भौतिक परीक्षण करके कुल सोने व चान्दी को सत्यापित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को नकारा जा सके।

7 रसीद बुकों के अभिलेख रखने तथा उसके प्रयोग से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

मन्दिर न्यास द्वारा विश्व शान्ति महायज्ञ के आयोजन हेतु चन्दा/दान राशियां एकत्र किया जाता है जिसके लिए वर्ष 2011 के दौरान 182 रसीद बुकों का मुद्रण मै0 लिजैण्ड ग्राफिक्स मण्डी से ₹41 प्रति बुक की दर से करवाया गया तथा उक्त फर्म को अन्य पोस्टर इत्यादि की प्रिटिंग सहित भुगतान चैक संख्या 660867 दिनांक 5.11.2011 द्वारा मन्दिर न्यास को किया गया। यह रसीद बुकें ₹10, ₹20, ₹50 ₹100 व ₹500 की denomination में प्रिण्ट करवाई गई थी परन्तु 182 रसीद बुकों के मुद्रण के स्थान पर अभिलेख में निम्नविवरणानुसार मात्र 170 बुकों का इन्द्राज किया गया। अतः शेष रसीद बुकों का इन्द्राज न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं।

राशि प्रति एक पृ0	**क्रम सं0 (बुक)**	**कुल रसीद बुकें**
₹10	1 से 5400 (100 प्रति बुक)	54
₹20	1 से 4200 (100 प्रति बुक)	42
₹50	1 से 4200 (100 प्रति बुक)	42
₹100	1 से 3000 (100 प्रति बुक)	30
₹500	1 से 100 (50 प्रति बुक)	2
		170

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दान राशियां एकत्रीकरण के बाद निम्न रसीद बुकें (unsold) शेष रह गई।

(i) ₹10

रसीद बुक/क्रम सं0.	unsold **रसीद बुकें**	**टिप्पणी**
2001 से 2700	7	इसके अतिरिक्त क्रम 1676 से 1700, 1807 से 1900, 1946 से 2000, 4520 से 4600, 4711 से 4800 की आधी अधूरी रसीदें बुकें भी शेष थी।
4801 से 4900	1	
5001 से 5400	4	
	12	

(ii) ₹20

रसीद बुक/क्रम सं0.	unsold **रसीद बुकें**	**टिप्पणी**
801 से 2100	13	इसके अतिरिक्त क्रम 680 से 700, 736 से 800 2180 से 2200, 2576 से 2600, 2611 से 2700 की आधी अधूरी रसीदें बुकें भी शेष थी।
2701 से 2800	1	
2801 से 4200	14	
	28	

(ii) ₹50

रसीद बुक/क्रम सं0.	unsold **रसीद बुकें**	**टिप्पणी**
1101 से 2100	10	इसके अतिरिक्त क्रम 440 से 500, 532 से 600, 663 से 700, 2492 से 2500, 2502 से 2600, 2650 से 2700 की आधी अधूरी रसीदें बुकें भी शेष थी।
2701 से 4200	15	
	25	

(iv) ₹100/–

रसीद बुक/क्रम सं0.	unsold रसीद बुकें	टिप्पणी
501 से 1500	10	इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 83 से 100, 395 से 400, 1595 से 1600, 1693 से 1700 की आधी अधूरी रसीदें बुकें भी शेष थी।
1801 से 3000	12	
	22	

(v) ₹500/–

इन रसीद बुकों में से मात्र क्रम संख्या 1 से 10 की रसीद प्रयोग में लाई गई तथा क्रम संख्या 11 से 50 व 51 से 100 unlosd शेष थी। मन्दिर द्वारा वर्ष 2011 की unsold रसीद बुकें अगले वर्ष 2012 में उपयोग की गई बताई गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में चैक संख्या 658469 दिनांक 10.11.12 द्वारा 101 रसीद बुकें प्रिन्ट की दर्शाई गई थी परन्तु 2012 में रसीद बुकों का अधिक इन्द्राज किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

₹	बुक सं0	कुल बुकें
10	1 से 6000	60
20	1 से 5000	50
50	1 से 5000	50
100	1 से 3000	30
500	1 से 100 (50 प्रति)	2

उपरोक्त मुद्रित करवाई गई रसीद बुकों के सम्बन्ध में अंकेक्षण में निम्न आपत्तियां पाई गई

(क) रसीद बुकों का किसी अधिकारी द्वारा सप्लाई आर्डर नहीं दिया गया अपितु सम्बन्धित लिपिक द्वारा अपने स्तर पर ही रसीद बुकों को प्रिन्ट करवाया गया। इस प्रकार मुद्रण का कार्य तथा उनकी प्रविष्टियाँ एक ही कर्मचारी द्वारा की जानी आपत्तिजनक है क्योंकि उक्त अभिलेख को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 2012 में रसीद बुकों का मुद्रण गत संख्याओं के बढ़ते क्रम में नहीं किया गया क्योंकि गत वर्ष में रसीद बुकों का मुद्रण 1 से 5400 क्रमांक तक हुआ था तो अगले वर्ष गत शेष प्रतियों को प्रारम्भिक शेष दर्शाकर कमांक 5401 से आगे बढ़ते क्रम में किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ऐसा न करके आगामी वर्ष में नए क्रम में रसीदों का मुद्रण करवाया गया।

अतः रसीद बुकों का अभिलेख रखने तथा इसका प्रयोग करने सम्बन्धित उक्त वर्णित अनियमितताओं के अतिरिक्त अन्य समस्त पहलुओं की भी विभागीय स्तर पर छानबीन की जाए तथा वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 हणोगी माता मन्दिर द्वारा बजट तैयार न करनाः–

हणोगी मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2012 के लेखों के लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा उपरोक्त अवधि का वार्षिक बजट तैयार नही किया गया था, जबकि H.P. Public Religious Institutions and Charitable Endowment Rule 1984 के Rule 13, Section 22 के अनुसार वार्षिक बजट तैयार किया जाना अपेक्षित था। अतः मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट तैयार न करने के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में गत वर्षों के अनुमानित आय व व्यय के आंकड़ों के आधार पर आगामी वर्ष का बजट विहित समय में तैयार करवाकर सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

9 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को E.P.F के लैजर व E.C.R तैयार न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन रजिस्टर (E.C.R) मे ंप्रत्येक कर्मचारी के अलग–2 खातों मे ंवेतन सम्बन्धी विभिन्न भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाना अपेक्षित था जोकि नही रखा गया। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों के वेतन से E.P.F की राशि की कटौती की जाती है लेकिन न्यास में कर्मचारी बार लेजर को तैयार नहीं किया गया है। अतः वेतन सम्बन्धित रजिस्टर व E.P.F से सम्बन्धित लैजर तैयार किये जाऐ तथा प्रत्येक

कर्मचारी के खाते से की गई कटौती एवं न्यास की ओर से अंशदान का अलग–2 खाता रखा जाए तथा E.P.F निगम में जमा हुई राशि से खातों का मिलान किया जाए।

10 हणोगी स्थित कैन्टीन की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा हणोगी स्थित कैन्टीन की नीलामी प्रतिवर्ष की जाती है लेकिन अंकेक्षण अवधि में नीलामी से प्राप्त आय का अभिलेख अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत किए जाएं।

11 कुल्लू स्थित धर्मशाला (कैन्टीन) की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा कुल्लू स्थित धर्मशाला (कैन्टीन) की नीलामी सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत किएं जाएं।

12 मन्दिर न्यास द्वारा श्री प्रकाश का पदनाम कम्पाऊंडर में चिकित्सा अधिकारी करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री प्रकाश जोकि 4.8.98 को दसवीं कक्षा उतीर्ण कर व H.P. Pharmary Council, Shimla द्वारा Diploma in Pharmacy का प्रमाण पत्र जोकि 30.6.1998 तक वैध था, के आधार पर कम्पाऊंडर नियुक्त हुए थे। उसके बाद उक्त कर्मचारी ने "The Open International University Colombo for Complementary Medicine, Karnal" से "Electropathy Medicine and Surgery" की 4 वर्ष का डिग्री कोर्स प्रमाण पत्र हासिल किया जिसके आधार पर दिनांक 01.01.2005 में उनका पदनाम कम्पाउडर से Medical Officer से किया गया। तत्पश्चात मन्दिर संस्थान ने उपरोक्त डिग्री कोर्स बारे जिला आर्युवैदिक अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जिस बारे में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पत्र संख्या एच0एफ0 (डब्लयू) 144470 दिनांक 1.10.2008 द्वारा स्पष्ट किया गया कि B.E.M.S हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व आर्युवेद विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तथा वह कर्मचारी एलोपैथी दवाईयों नहीं लिख सकते है, लेकिन श्री प्रकाश चिकित्सा अधिकारी के रूप

में संस्थान स्थित औषधालय में कार्यरत्त है और उन्हें एलीपैथी दवाईयां निशुल्क लिखने व बांटने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अतः कर्मचारी को प्रदान किए पदनाम की जाँच कर विभागीय स्त्तर पर की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्ष :–** मन्दिर न्यास के लेखों में सुधार के लिए पर्यवेक्षण एवं सुदृढ़ लेखांकन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)277/11–खण्ड–1–1562–66 दिनांक, 12.03.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री हणोगी माता, जिला मण्डी को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2. उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।
3. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
4. अवर सचिव (भाषा विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
5. श्री चन्द्रेश हण्डा अनुभाग अधिकारी (अब सहायक नियन्त्रक) द्वारा........................

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा 1 (iii) के सन्दर्भ में**

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 9.12.06 से 31.12.10

1	पैरा–4	निर्णीत
2	पैरा–6 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (घ)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा–12	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
11	पैरा–13	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
12	पैरा–14	अनिर्णीत
13	पैरा–15	अनिर्णीत
14	पैरा–16	अनिर्णीत
15	पैरा–17	अनिर्णीत
16	पैरा–18	अनिर्णीत
17	पैरा–19	अनिर्णीत
18	पैरा–20	अनिर्णीत
19	पैरा–21	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	19
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	4
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9.12.06 से 31.12.10 तक अनिर्णीत पैरे	15